छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 29-3-2003

क्रमांक एफ–10 / 18 / 2003 / वाक / पांच / (16) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

1. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में कालावधि से संबंधित अंक "2003" के स्थान पर अंक "2004" प्रतिस्थापित किए जाएं :–

अ.क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
1.	ए–3–28––2000–विक–पॉच (38)	17.04.2000
2.	1973 / एफ / 10–372 / 2001 / वाक–पॉच (51)	10.09.2001
3.	एफ–10 / 385 / 2001 / वाक / पॉच (60)	29.10.2001
4.	एफ–10 / 391 / 2001 / वाक / पॉच (65)	09.11.2001
5.	एफ–10 / 392 / 2001 / वाक / पॉच (71)	12.11.2001
6.	एफ–10–16 / 2002 / वाक / पॉच (16)	12.02.2002
7.	एफ–10–29 / 2002 / वाक / पॉच (38)	27.03.2002
8.	एफ–10 / 43 / 2002 / वाक / पॉच (54)	02.05.2002
9.	एफ–10–48 / 2002 / वाक / पॉच (60)	21.05.2002
10.	एफ–10 / 15 / 2002 / वाक / पॉच (82)	16.07.2002
11.	एफ / 10–15 / 2002 / वाक / पॉच (83)	17.07.2002
12.	एफ–10–67 / 2002 / वाक / पॉच (84)	23.07.2002
13.	एफ–10–72 / 2002 / वाक / पॉच (91)	07.08.2002
14.	एफ–10–95 / 2002 / वाक / पॉच (117)	28.12.2002

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 29-03-2003

क्रमांक एफ–10 / 18 / 2003 / वाक / पांच / 1 –भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10 / 18 / 2003 / वाक / पांच / (16) दिनांक 29-3-03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 29-03-2003

No.F-10/ 18 /2003/CT/V(16) - In exercise of Powers conferred by section 8 (5) of Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENTS

1. In the notifications given below for the figure related to period "2003", the figure "2004" shall be substituted: -

S.No.	Notification No.	Date
1.	1685-F-10/332/2001/CT/V (38)	10.08.2001
2.	1973/F/10-372/2001/CT-V (51)	10.09.2001
3.	F-10/385/2001/CT/V (60)	29.10.2001
4.	F-10/391/2001/CT/V (65)	09.11.2001
5.	F-10/392/2001/CT/V (71)	12.11.2001
6.	F-10-16/2002/CT/V (16)	12.02.2002
7.	F-10-29/2002/CT/V (38)	27.03.2002
8.	F-10/43/2002/CT/V (54)	02.05.2002
9.	F-10/48/2002/CT/V (60)	21.05.2002
10.	F-10/15/2002/CT/V (82)	16.07.2002
11.	F/10-15/2002/CT/V (83)	17.07.2002
12.	F-10-67/2002/CT/V (84)	23.07.2002
13.	F-10-72/2002/CT/V (91)	07.08.2002
14.	F-10-95/2002/CT/V (117)	28.12.2002

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 1-4-2003

क्रमांक एफ–10/20/2003/वाक/पांच (22) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अधीन 1 अप्रेल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :–

अ नु सू ची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्ते जिनके अध्ययीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तैयार पोशाकें	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	---
2.	जूट कपडा एवं जूट रस्सी	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	---
3.	केमिकल्स	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	जब छत्तीसगढ राज्य में स्थित लघु औधोगिक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 1-4-2003

क्रमांक. एफ–10/20/2003/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/20/2003/वाक/पांच (22), दिनांक 1-4-03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 1-4-2003

No. F-10/20/2003/CT/V(22) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest:

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in subsection (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from 1st April, 2003 to 31st March, 2004 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, -

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Readymade garments	Partly so as to reduce the rate of tax to 1%	—
2.	Jute cloth and jute twine	Partly so as to reduce the rate of tax to 1%	—
3.	Chemicals	Partly so as to reduce the rate of tax to 2%	When manufactured and sold by small-scale industries situated in Chhattisgarh State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

KRMisra
(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 09-05-2003

क्रमांक एफ–10/35/2003/वाक/पांच (45) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अधीन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31 मार्च, 2004 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :–

अ नु सू ची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्ते जिनके अध्ययीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ट्रान्सफार्मर	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औघोगिक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 09-05-2003

क्रमांक. एफ–10/35/2003/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/35/2003/वाक/पांच (45), दिनांक 9-5-03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 09-05-2003

No. F-10/35 /2003/CT/V(45) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in subsection (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from the date of publication in official gazette to 31st March, 2004 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, -

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Transformer	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	When manufactured and sold by an industrial unit situated in Chhattisgarh State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30-6-2003

कमांक एफ–10/51/2003/वाक/पांच (63) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विकय कर अधिनियम 1956 (कमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–10/29/2002/वाक/पांच (38) दिनांक 27.03.2002 में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

संशोधन

1. अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 5 से संबंधित प्रविष्टि को विलोपित किया जाए।

2. यह संशोधन 01.07.2003 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 30-6-2003

कमांक. एफ–10/51/2003/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/51/2003/वाक/पांच (63), दिनांक 30-6-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30-6-2003

No. F-10/ 51 /2003/CT/V(63) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. F-10/29/2002/CT/V (38) dated 27-03-2002 :-

AMENDMENT

1. In the Schedule of the notification entry related to S.No. 5 shall be omitted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01.07.2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 22 /08/2003

क्रमांक एफ–10/62/2003/वाक/पांच (78) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/ वाक/पॉच (71), दिनांक 12.11.2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (4)(ख) में अंक एवं शब्द "2 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए, एवं

2. अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (3) में अंक एवं शब्द "2 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।

यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 22 /08/2003

कमांक. एफ–10/62/2003/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/62/2003/वाक/पांच (78), दिनांक 22 /08/2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 22 /08/2003

No. F-10/62/2003/CT/V (78) - In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (71), dated 12.11.2001, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, in column (4)(b) against serial No. 1 for the figure "2%" the figure and word "1 percent" shall be substituted, and

2. In column (3) against serial No. 2 for the figure "2%" the figure and word "1 percent" shall be substituted.

These amendments shall come into force from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ–10/49/2003/वाक/पांच (83) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–10/49/2003/वाक/पॉच (60) दिनांक 23.06.2003 में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) के सामने कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तें विलोपित की जाती हैं।

2. यह संशोधन 01.09.2003 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ–10/49 /2003/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/49/2003/ वाक/पांच (83), दिनांक 1-9-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 1 Sept. 2003

No. F-10/ 49 / 2003/CT/V (83) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section 5 of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956, (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. F-10/49/2003/CT/V (60) dated 23.06.2003 : -

AMENDMENT

In the schedule to the said notification, restrictions and conditions specified in column (4) against serial No. (1) shall be omitted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01.09.2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ–10/68/2003/वाक/पांच (89) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अधीन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31.03.2004 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है,–

अ नु सू ची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्ते जिनके अध्ययीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पैकेट चाय	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	जब पंजीकृत व्यवसाई जो राज्य में स्थित लघु स्तरीय इकाई हो एवं उघोग विभाग में पंजीयत हो द्वारा प्रसंस्करण/ब्लेंडिंग पश्चात् बेचा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2003

क्रमांक एफ–10/68/2003/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/68/2003/वाक/पांच (89), दिनांक 16/9/03 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 16 Sept. 2003

No. F-10/ 68/2003/CT/V(89) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in subsection (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from the date of publication in official gazette to 31.03.2004, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule,-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Packet Tea	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (1) of Section 8 to 1 percent	When sold by a registered dealer after processing/ blending who is a small-scale unit situated in the state and registered in industries department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ–10/70/2003/वाक/पांच (95) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–10/29/2002/वा.क./पॉच (119) दिनांक 31.12.2002 में निम्नानुसार संशोधित करती है :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शब्दों "राजपत्र के प्रकाशन दिनांक से" के स्थान पर अंकों एवं शब्दों "01.04.2002 से" प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ–10/70/2003/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/70/2003/वाक/पांच (95), दिनांक 6-10-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 6-10-2003

No. F-10/ 70 /2003/CT/V (95) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. F/10-29/2002/CT/V (119), dated 31-12-2002:-

AMENDMENT

In the said notification for the words "from the date of publication in gazette" the words and figures "from 01.04.2002" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

Kmisra

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ–10/71 /2003/वाक/पांच (97) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए–3–28–2000–विक–पॉच (31), दिनांक 13.04.2000, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (छः) में शामिल हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोडा जाए।

(ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (छः) में शामिल हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोडा जाए।

(iii). अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (छः) में शामिल हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोडा जाए।

2. यह संशोधन 16.01.2001 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ–10/71/2003/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/71/2003/वाक/पांच (97), दिनांक 6-10-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 6-10-2003

No. F-10/71 /2003/CT/V (97) - In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. A-3-28-2000-ST-V (31), dated 13.04.2000, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (2) against serial No. 1 after the words "hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.

(ii). In column (2) against serial No. 2 after the words "hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.

(iii). In column (2) against serial No. 3 after the words "hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 16.01.2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

K Misra

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ–10/71 /2003/वाक/पांच (/00) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/ वाक/पॉच (71), दिनांक 12.11.2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (2) में शब्दों, "(छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोडा जाए।

(ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों, "(छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रीप्स" के पश्चात् शब्दों "तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स" को जोडा जाए।

2. यह संशोधन 10.08.2001 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 6-10-2003

क्रमांक एफ–10/71 /2003/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/71/2003/वाक/पांच (/00), दिनांक 6·10·2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 6-10-2003

No. F-10/71/ /2003/CT/V (100) - In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (71), dated 12.11.2001, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (2) against serial No. 1 after the words "hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.

(ii). In column (2) against serial No. 2 after the words "hoops and strips falling in category (vi)" the words "and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii)" shall be inserted.

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 10.08.2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

KRMisra

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर, 2003

क्रमांक एफ–10/71/2003/वाक/पांच (102) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देशित करती है कि जहाँ केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित लोहा तथा इस्पात के क्रय पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत कर प्रभारित एवं संग्रहित किया गया हो एवं यदि इसे तत्पश्चात् केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (तेरह) में वर्णित फिश प्लेट्स एवं बेयरिंग प्लेट्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तब ऐसी संग्रहित कर की राशि ऐसे निर्मित उत्पाद पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रभारित होने वाली कर की राशि से कम की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 16.01.2001 से प्रभावशील मानी जाएगी तथा 31.03.2004 तक प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर, 2003

क्रमांक एफ–10/71/2003/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/71/2003/वाक/पांच (102), दिनांक 6-10-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 6 Oct. 2003

No. F-10/71 /2003/CT/V (102) - In exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby directs that whereon the purchase of Iron and steel as specified in categories (ii) and (xvi) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, tax has been levied and collected under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 and if it is subsequently used in the manufacture of fish plates and bearing plates specified in category (xiii) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, then the amount of tax so collected shall be reduced from the tax leviable on sale of such finished product under the Central Sales Tax Act, 1956.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 16.01.2001 and shall be inforce upto 31.03.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary